पुनरीक्षण याचिका क्रं. R 968 PVR/16
प्रस्तुति दिनांक : 20/05/2016.

समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर, खण्डपीठ इंदौर Resto

सुभान -पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

श्रीमान तहसीलदार, राजपुर व अन्य -- प्रत्यर्थीगण

श्री चेतन जोशी अभिभाषक द्वारा 20.5.16 को इंदौर प्रस्तुत किया।

आवेदन पत्र वास्ते रेस्टोरेशन रिकालिंग ऑफ आर्डर दिनांक 20/4/16.

श्रीमान जी,

आवेदक निम्नलिखित निवेदन करता है कि -

(1) यह कि उपरोक्त प्रकरण आज दिनांक 20/4/16 को वास्ते एडमीशन हेतु नियत था।

(2) यह कि आवेदक के अभिभाषक महोदय अत्यधिक व्यस्तता के कारण माननीय उच्च न्यायालय में व्यस्त रहने के कारण इस न्यायालय में पुकार के समय उपस्थित नहीं हो सके। इस कारण से इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में नॉन प्रासिक्यूशन में खारिज कर दिया गया।

(3) यह कि आवेदक द्वारा न्यायालय के रीडर से प्रकरण का स्टेटस पता करने पर यह पता चला कि उपरोक्त प्रकरण नान प्रासिक्यूशन में खारिज कर दिया गया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आदेश दिनांक 20/4/16 को रिकाल कर उक्त प्रकरण को पुनः ओरिजनल नम्बर पर दर्ज कर सुनवाई का अवसर दिया जावे।

दिनांक: 20/4/16.

आवेदक
द्वारा अभिभाषक [signature]

(8)

XXXIX(a)-BR (H)-10

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 2220-पी.बी.आर./16 भाग-अ

सुभाष विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य

तहसील .... जिला बड़वानी

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक........ जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक........

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक........ तहसील का प्रकरण क्रमांक........

वाद का विषय ....

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	राजस्व मण्डल ग्वालियर [R968-PBR/16] ~~आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला~~ के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक 20.4.16 के विरुद्ध श्री सुभाष के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीवद्ध किया जा चुका है। पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/........ रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं / नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है / नहीं दिया है। प्रस्तुतकार	Akhilesh Naik for 21.4.16.
21.4.2016	आवेदक की ओर से श्री चेतन्य जोरी अभिभावक उपस्थित। तर्क सुने गये। अनुपस्थिति का कारण समाधान-कारक होने से मूल प्रकरण पुर्नस्थापित किया जाता है। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है। अध्यक्ष	Akhilesh

[पीछे देखिये